पूर्व मध्य रेल
संरक्षा बुलेटिन नं0- 02/25

कार्यालय
महाप्रबंधक/संरक्षा
हाजीपुर

पत्र सं0 ईसीआर/संरक्षा बुलेटिन/02/25 दिनांकः 10.02.2025

विषयः दिनांक 13.01.2025 को धनबाद मंडल के नेताजी सुभाषचंद्र बोस गोमो स्टेशन के डाउन यार्ड लाईन सं. 01 में मैटेरियल ट्रेन का स्पैड एवं तत्पश्चात् अवपथन के संबंध में ।

1. संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.01.2025 को धनबाद मंडल के नेताजी सुभाषचंद्र बोस गोमो स्टेशन पर तकरीबन 17.50 बजे, मैटेरियल ट्रेन लोको सं0 70158 कुल छह बी आर.एन लोड (03 - ओ.एच.ई मास्ट लोडेड तथा 03 बी.आर.एन खाली) का डाउन यार्ड लाईन सं0. 01 से डाउन लूप में शंटिंग करने के दौरान उपरोक्त गाड़ी के लोको पायलट द्वारा शंट सिगनल सं0 241 को ऑन स्थिति में पार किया गया जिसके परिणामस्वरूप कांटा सं0 241 क्षतिग्रस्त हुआ तथा फिर लोड को बैक किया गया। फलतः उपरोक्त गाड़ी का एक खाली बी.आर.एन वैगन अवपथित हो गया।

2. प्रक्रियागत विफलताः-

शंट सिगनल के द्वारा शंटिंग का नियमन जहां होता है वहां शंट सिगनल के अनुपालन की जिम्मेवारी शंटर/लोको पालयट की होती है और इस मामले में लोको पायलट के द्वारा शंट सिगनल का अनुपालन नहीं किया गया । शंटिंग के दौरान उपरोक्त अवपथन शंटर/लोको पायलट द्वारा शंटिंग के दौरान बरती जानेवाली सावधानियों के अनुपालन नहीं करने एवं शंट सिगनल की अवहेलना किये जाने के परिणामस्वरूप घटित हुई ।

3. जाँच के दौरान स्थापित तथ्यः-

(i) दुर्घटना में यह पाया गया कि डाटा लॉगर रिपोर्ट के अनुसार गोमो डाउन यार्ड लाईन सं0 1 का शंट सिगनल ऑन स्थिति में था।

(ii) डाटा लॉगर सिमुलेशन में यह भी पाया गया कि उक्त ट्रेन के लिए प्वाइंट एवं रूट नहीं सेट किया गया था ।

(iii) क्रू निरीक्षण पुस्तिका में उक्त सिगनल की दृश्यता के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं की गई थी ।

(iv) चालक, सहायक चालक एवं प्वाइंटसमैन के मोबाईल एवं इंटरनेट डाटा रिकॉर्ड से यह ज्ञात हुआ कि उक्त घटना के समय ये लोग मोबाईल फोन पर व्यस्त थे।

4. नियमों का अनुपालन एवं बरती जानेवाली सावधानियाँ:-

भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृति न हो इसके लिए सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के निम्नलिखित नियमों का सर्वसंबंधित यथा शंटर, शंटिंग कार्य में शामिल सभी कर्मचारियों द्वारा कड़ाई के साथ अनुपालन के लिए पुनः उधृत किया जा रहा हैः-

1. शंटिंग कार्य में शामिल सभी वर्ग के कर्मचारियों द्वारा सामान्य नियम 5.13(1) के अनुसार शंटिंग कार्य किया जाएगा । इस नियम के अनुसार शंटिंग कार्य का नियंत्रण सिगनल या हैंण्ड सिगनल या मौखिक निर्देशों के द्वारा किया जाएगा ।

2. सामान्य नियम एवं सहायक नियम 4.21 (इंजन चलाने की जिम्मेदारी) के अनुसार विद्युत इंजन में लोको पायलट अगले कैव से ही शंटिंग करेंगे । डीजल लोको में शंटिंग की दिशा वाले ड्राईविंग कंट्रोल स्टैण्ड से ही शंटिंग कार्य करेंगे ।

3. सामान्य नियम 5.13 (2) के अनुसार लोको पायलट सिगनलों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहकर सदैव चौकस और सतर्क रहेगा।

4. सहायक नियम सं0 5.14 (1) में वर्णित है कि यात्री वहन करने वाली गाड़ी के शंटिंग के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व शंटिंग जमादार या गार्ड/स्टेशन मास्टर द्वारा किया जाएगा ।

5. सहायक नियम 5.14 (1) के अनुसार शंटिंग के दौरान कोई कर्मचारी बफर, हैण्ड ब्रेक गियर या वाहनों के स्क्रू कपलिंग या इंजन के कॉउकैचर पर नहीं चढ़ेगा।

सहायक नियम 14.01 में वॉकीटॉकी सेट के उपयोग किए जाने की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। इसमें वर्णित स्थितियों अथवा कार्यों के अलावे वॉकी-टॉकी का प्रयोग शंटिंग के दौरान हैण्ड सिगनल के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए । शंटिंग के दौरान कोई कर्मचारी बफर, हैण्ड ब्रेक गियर या वाहनों के स्क्रू कपलिंग या इंजन के कॉउकैचर पर नहीं चढ़ेगा।

8. इसके अतिरिक्त सहायक नियम 8.15 में वर्णित प्रावधानों का अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए।

उक्त का सर्व सम्बन्धित द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत किया जाए। मंडलों के सम्बन्धित अधिकारीगण तथा पर्यवेक्षक नियमित तथा औचक निरीक्षण के समय इसका अनुपालन अवश्य देखें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो ।

सुनील कुमार 10.02.25

(सुनील कुमार)
उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/यातायात

प्रतिलिपिः-

1. महाप्रबंधक के सचिव- महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अपर महाप्रबंधक, प्र0 मु0 परि0 प्र0, प्र0 मु0 इंजी0, प्र0 मु0 वि0 इंजी0, प्र0 मु0 सि0 एवं दू0 इंजी0, प्र0 मु0 यां0 इंजी0 - को सादर सूचनार्थ।
3. मु0 यां0 यो0 प्र0, मु0 या0 या0 प्र0, मुख्य ट्रैक इंजी0, मु0 सि0 इंजी0, मु0वि0वि0इंजी0, मु0 वि0 लो0 इंजी0
4. मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
5. वमसंअ0 वमपरिप्र0 वमंविई0 (टीआरडी) , वमंविई0 (परि0), वमंसिदूई0, वम अभियंता (सम0)धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
6. सभी सर्वसंबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी ।